संख्या–1370 / 9–आ–4–2000–214एन / 2000

प्रेषक,

श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश ।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक 31 मई, 2000

विषय :नजूल भूमि के फ्री–होल्ड हेतु निम्न डिमाण्ड नोटिस के सापेक्ष 90 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी धनराशि जमा न किये जाने की दशा में उसकी वसूली हेतु मार्ग दर्शन।

महोदय,

आप अवगत हैं कि नजूल भूमि फ्री–होल्ड सम्बन्धी शासनादेशों में प्रावधानों के अनुसार आवेदक को डिमाण्ड नोट जारी होने के 90 दिन के भीतर सम्पूर्ण धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर 20 प्रतिशत छूट का प्राविधान किया गया है। कतिपय जनपदों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अनेकों आवेदकगण डिमाण्ड नोट जारी होने के 90 दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी डिमाण्ड नोट की धनराशि जमा नहीं कर रहे हैं और न ही कोई सूचना ही दे रहे हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) जिन आवेदकों को डिमाण्ड नोट जारी किये जा चुके हैं और 90 दिन की अवधि पूर्ण हो चुकी है, उन्हें एक माह की नोटिस देकर धनराशि जमा करने के लिए कहा जाय।

(2) यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती है तो 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज के भुगतान के साथ समस्त धनराशि जमा करने की बाध्यता होगी, किन्तु यह सुविधा भी आगामी दो माह तक ही उपलब्ध होगी।

(3) यदि इस अवधि में भी वांछित धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसके पश्चात ऐसे प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत जमा धनराशि को भी जब्त कर लिया जाय। नोटिस में यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि एक बार प्रार्थना पत्र निरस्त होने पर, पुनः प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर, यदि उसे विचार योग्य पाया जाता है तो उस समय फ्री–होल्ड हेतु लागू सर्किल रेट के आधार पर ही फ्री–होल्ड की कार्यवाही की जायेगी।

(4) जिन आवेदकों को अब डिमाण्ड नोट निर्गत किये जायें उनमें यह भी स्पष्ट इंगित कर दिया जाय कि यदि निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर समस्त अथवा प्रथम किस्त (यथास्थिति) की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसके पश्चात केवल आगामी दो माह के विलम्ब की अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज भी देय होगा जिसके उपरान्त आवेदन को निरस्त करते हुए आवेदन की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।